न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

मिसल नंबर 559/14 दायरा दिनांक 02.07.2015

उनवान :—

1. सुगनाबाई पत्नी परशुराम जाति खटीक निवासी कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र गोपिया जाति चमार निवासी दांत तहसील कनवास।
2. छूटूलाल पुत्र गोपिया जाति चमार निवासी दांता तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53, आर टी एक्ट

निर्णय कोर्ट केम्प दांता दिनांक 02.07.2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दांता तहसील कनवास में वादीनी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नई 74 व पुरानी 73 की निम्न आराजी स्थित है:—

क्र.संख्या	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर
1	173	1.02
2	174	0.44
3	188	1.34
4	189	0.80
5	191	0.04
6	227	0.13
7	321	1.47
योग	कुल किता 7 की कुल 5.24 हैक्टयर भूमि	

उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीनी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/3 है, जिसे वादीनी ने खातेदार ग्यारसीबाई पुत्री गोपिया से खरीद किया था, तथा वक्त खरीद से वादीनी अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को मौके पर शांति पूर्वक काश्त कर रही हे।

यह कि तत्कालीन खातेदार ग्यारसीबाई पुत्री गोपिया व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त कृषि भूमि को आपसी सहमति से मौके पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे थे, तथा वक्त खरीद से ग्यारसीबाई पुत्री गोपिया द्वारा विक्रय किये गये हिस्से पर वादीनी शांति पूर्वक काश्त कर रही है। यघपि वादीनी व प्रतिवादीक्रम 1 व 2 मौके पर अपने अपने हिस्से को सहमति से काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु उक्त खाता अभी भी शामलाती

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

है, जिसका विधिवत विभाजन पूर्व में कभी भी नंही हुआ है, और न ही लेण्ड होल्डर से किसी भी प्रकार की सहमति प्राप्त की है, वादीनी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का आज भ विधिक रूप से उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक इंच पर हक व हिस्सा है।

यह कि वादीनी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का खाता शामलाती होने की वजह से वादीनी को अपने हिस्से की कृषि भूमियों को भली प्रकार उपयोग उपभोग करने मे व अपनी कृषि भूमि पर विकास कार्य आदि करने में परेशानियों का सामना करना पडता इसलिये वादीनी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कृषि भूमियों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाने को कहा, तो पहले तो वे खाता विभाजन करवाने का आश्वासन देते रहे, परन्तु बाद में उन्होने साफ तौर पर मना कर दिया, और कहा कि हम खाता विभाजन नही करवायेंगे, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा खाता विभाजन करवाने की मना करने पर वादीनी के लिये आवश्यक हो गया, कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्व कृषि भूमियों के विभाजन हेतु सम्माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते की ग्राम दांता तहसील कनवास में स्थित खाता संख्या नई 74 व पुरानी 73 के खसरा नंबर 173 की 1.02 हैक्टर खसरा नंबर 174 की 0.44 हैक्टर खसरा नंबर 188 की 1.34 हैक्टर, खसरा नंबर 189 की 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 191 की 0.04 हैक्टयर 227 की 0.13 हैक्टर , व खसरा नंबर 321 की 1.47 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 5. 24 हैक्टयर कृषि भूमि आराजीयात का विभाजन मौके पर कब्जे काश्त अनुसार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादीनी का 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को उसके खाते में पृथक से दर्ज की जाकर विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, तथा राज लगान भी पृथक–पृथक किया जावे, विकल्प में निवेदन है कि यदि प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन को तैयार न हो तो उक्त कृषि भूमियों का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वादनी के निवेदन करने पर पत्रावली को सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादियों को बुलाया जाकर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड में ग्राम दांता की नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 में खाता नंबर नयां 74 व पुराना 73 के अनुसार वादनी का 1/3 हिस्सा निहित है। एवं प्रतिवादी नबंर 1 व 2 का भी हिस्सा 1/3 – 1/3 निहित एवं प्रतिवादी नंबर 1 एवं 02 के बयान लिये गये, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादनी एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा निर्धारित प्रारूप में राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी एवं प्रतिवादियों की पहचान पटवारी हल्का दांता व पदेन सचिव ग्राम पंचायत द्वारा की गयी। इनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नंबर 173 की रकबा 1.02 है खसरा नंबर 174 की रकबा 0.44 है0 योग किता 02 रकबा 146 है0 वादनी सुगनाबाई के नाम आराजी खसरा नंबर 188 की रकबा 1.34 है0 189 की रकबा 0.49 है0 योग किता 02 की रकबा 1.83 है0 प्रतिवाद नंबर 1 लटूरलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह के नाम एवं आराजी खसरा नंबर 189 की रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 191 की 0.04 है0 खसरा नंबर 321 की रकबा 1.47 है0 योग किता 03 रकबा 1.82 है0 प्रतिवादी नंबर 02 छोटूलाल आत्मज गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह के नाम तथा आराजी खसरा नंबर 227 की रकबा 0.13 है0 प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम सामलाती में रहेगी। राजीनामा प्राप्त होने पर तहसीलदार कनवास से खाता विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। नायब तहसीलदार कनवास द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

समाझाईश एवं राजीनामा अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत खाता विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमार द्वारा पत्रावली का गहनता से विवेचन किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद वादी एवं प्रतिवादी गण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार कनवास से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन किया जाना स्वीकार है। विवरण खाता विभाजन निम्न प्रकार हैं :–

क्र. संख्या	नम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	भू0राजस्व		दिशा
1	सुगनाबाई पत्नी परशुराम जाति खटीक सा0कनवास खातेदार (वादी)	दांता	173	1.02	बारानी तृतीय	3.00	3.06	सम्पूर्ण
			174	0.44	———————	3.00	1.32	सम्पूर्ण
	योग किता 02 की रकबा 1.46 है0						4.38	
2	लटूरलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह खातेदार (प्रतिवादी 01)	दांता	188	1.34	बारानी तृतीय	3.00	4.02	सम्पूर्ण
			189	0.49	—————————	3.00	1.47	पश्चिम
	योग किता 02 रकबा 1.83 हैक्टर						5.49	
3	छोटूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह खातेदार (प्र0वा0नंबर 02)	दांता	189	0.31	बारानी तृतीय	3.00	0.93	पूर्व दिशा
			191	0.04	———————	3.00	0.12	सम्पूर्ण
			321	1.47	———————	3.00	4.41	सम्पूर्ण
	योग किता 03 की रकबा 1.82 है0						5.46	
4	लटूरलाल, छोटूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार	दांता	227	0.13	बरानी तृतीय	4.00	0.52	सम्पूर्ण

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) कोर्ट केम्प दांता

1. सुगनाबाई पत्नी परशुराम जाति खटीक निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र गोपिया जाति चमार निवासी ग्राम दांता तहसील कनवास।
2. छोटूलाल पुत्र गोपिया जाति चमार निवासी ग्राम दांता तहसील कनवास।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं 559/14 सन **2014** तारीख फैसला **02.07..2015 न्यायालय बइजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **वादी स्वंय** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी एक लगायत 2 स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी है कि **दावा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनाम अुनसार वाद स्वीकार कर तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम मामोर के राजस्व रेकार्ड में पृथक – पृथक खाता अंकित किया जावे।**

खाता विभाजन का विवरण निम्न प्रकारा है :–

क्र.सं	नम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	भू0राजस्व		दिशा
1	सुगनाबाई पत्नी परशुराम जाति खटीक सा0कनवास खातेदार (वादी)	दांता	173	1.02	बारानी तृतीय	3.00	3.06	सम्पूर्ण
			174	0.44	————	3.00	1.32	सम्पूर्ण
	योग किता 02 की रकबा 1.46 है0						4.38	
2	लटूरलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह खातेदार (प्रतिवादी 01)	दांता	188	1.34	बारानी तृतीय	3.00	4.02	सम्पूर्ण
			189	0.49	————	3.00	1.47	पश्चिम
	योग किता 02 रकबा 1.83 हैक्टर						5.49	
3	छोटूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह खातेदार	दांता	189	0.31	बारानी तृतीय	3.00	0.93	पूर्व दिशा
			191	0.04	————	3.00	0.12	सम्पूर्ण
			321	1.47	————	3.00	4.41	सम्पूर्ण
	योग किता 03 की रकबा 1.82 है0						5.46	
4	लटूरलाल, छोटूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार	दांता	227	0.13	बरानी तृतीय	4.00	0.52	सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी

शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **02** माह **जुलाई 2015** को जारी की गई।

मोहर ....

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा ""	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""					
मीजान ""			मीजान ""		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास